अति तत्काल

आरएलबी जारी (निर्गमन) संख्या 3/2021-22

राज्य सरकारों के लेखों में जमा की जाने वाली राशि

एफ.15(4)एफसी-XV/एफसीडी/2020-25

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग,

वित्त आयोग प्रभाग

ब्लॉक नंबर XI, 5वीं मंजिल

सीजीओ कॉम्प्लेक्स

नई दिल्ली-110003

दिनांक: 07-05-2021

सेवा में

लेखा अधिकारी (राज्य- ऋण),
मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय,
व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली- 110001

विषय: पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) द्वारा यथा **अनुशंसित ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहबद्ध अनुदान** जारी करना।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान **227200.00** लाख रुपये (केवल दो हजार दो सौ बहत्तर करोड़ रुपये) की राशि एफसी-XV अनुशंसित आरएलबी का सहबद्ध अनुदान जारी करने के लिए भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से राज्य सरकार(ओं) को अवगत कराने का निदेश दिया गया है।

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**राशि (लाख रुपये में)**	**अनुदान घटक**	**किस्त**	**वर्ष**
1.	अरुणाचल प्रदेश	5775.00	आरएलबी का सहबद्ध अनुदान	द्वितीय	2020-21
2.	पंजाब	34700.00	आरएलबी का सहबद्ध अनुदान	द्वितीय	2020-21
3.	राजस्थान	96550.00	आरएलबी का सहबद्ध अनुदान	द्वितीय	2020-21
4.	तमिलनाडु	90175.00	आरएलबी का सहबद्ध अनुदान	द्वितीय	2020-21

2. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि ऊपर उल्लिखित राशि, यदि कोई हो (जहां संविधान का भाग IX और IXक लागू नहीं होता है) को राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या की 90% भारिता और क्षेत्र के आधार पर 10% भारिता के आधार पर सामान्य क्षेत्रों और बहिष्कृत क्षेत्रों को आवंटित की जाए।

3. उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार **बहिष्कृत क्षेत्रों** (यदि कोई हो) के लिए विभाजित अनुदान राज्य वित्त विभाग द्वारा संबंधित स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी)/ग्राम विकास बोर्डों (वीबीडी)/ग्राम सभाओं (जैसा भी मामला हो) को संबंधित प्रशासनिक विभागों/नोडल विभागों के माध्यम से पंचायती राज एडीसी/वीबीडी मामलों की देखभाल करने वालों को सीधे अंतरित की जाएगी।

4. **सामान्य क्षेत्रों** के लिए आवंटित अनुदान पंचायतों के सभी स्तरों के लिए अंतिम रूप दिए गए पारस्परिक हिस्से के अनुसार संवितरित की जाएगी और नवीनतम राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत अनुशंसा के आधार पर राज्य में प्रत्येक स्तर पर संवितरित की जाएगी। तथापि, वितरण के लिए एसएफसी अनुशंसा की अनुपलब्धता के मामले में, आबंटन जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर 90:10 के अनुपात में होना चाहिए।

5. राज्य (राज्य वित्त विभाग) केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान, बिना किसी कटौती के दस दिनों में उपरोक्त पैरा 4 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में संबंधित ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान अंतरित करेंगे।

6. दस कार्य दिनों से अधिक विलंब होने पर राज्य सरकारों को पिछले वर्ष के लिए बाजार ऋणों/राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) पर औसत ब्याज की प्रभावी दर के अनुसार ब्याज सहित उपर्युक्त अनुदान किस्त जारी करनी होगी।

7. उपर्युक्त एफसी-XV द्वारा अनुशंसित आरएलबी के सहबद्धअनुदान का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा (क) स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त स्थिति बनाए रखने और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है। स्थानीय निकाय, जहां तक संभव हो, इन दो महत्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक के लिए इन सहबद्धअनुदानों का आधा हिस्सा निर्धारित करेंगे। हालांकि, यदि किसी स्थानीय निकाय ने एक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूर्णत: पूरा कर दिया है, तो वह दूसरी श्रेणी के लिए निधियों का उपयोग कर सकता है।

8. उपर्युक्त स्थानीय निकाय अनुदान, इस विषय पर एफ.15(2)एफसी-XV/एफसीडी/2020-25, दिनांक 01-06-2020 द्वारा जारी किए गए प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार शासित किया जाएगा। इसके अलावा, राज्यों को निम्नानुसार उपयोग प्रमाणपत्र में प्रमाणित करना होगा;

(i) यह कि उनके सभी ग्राम पंचायतों ने पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपने जीपीडीपी में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं को शामिल किया है।

(ii) जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 2020-21 की राज्य की वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं (जिला/ग्राम कार्य योजनाओं को एकत्रित करना) जिसमें पेयजल और स्वच्छता सेवा शामिल है, को अंतिम रूप दिया गया है और डीडीडब्ल्यूएस की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) पर अपलोड किया गया है।

(iii) ऊपर पैरा 6 में उल्लिखित दो महत्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक पर पूरे वर्ष 2020-21 के लिए सहबद्ध अनुदान का प्रतिशत।

9. पीएओ-राज्य ऋण. मुख्य लेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से अनुरोध है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर को संबंधित राज्य सरकारों के लेखों में उपरोक्त राशि जमा करने की सलाह दें।

10. वित्त मंत्रालय के लेखों में वर्ष 2021-22 के लिए कार्यात्मक शीर्ष 3601071020100 के अंतर्गत राज्य सरकार को अंतरण की मांग अनुदान संख्या 40 में भुगतान के लिए समायोज्य हैं। प्रयोजन शीर्ष 31, स्थानीय निकायों (3.01 ग्रामीण निकायों) के लिए अनुदान के रूप में योजना कोड 2084 है।

11. इस पत्र पर की गई कार्रवाई की जानकारी इस प्रभाग को दी जाए।

(सुभाष चंद्र मीणा)
निदेशक (एफसीडी)
टेलीफोन 243608543

प्रतिलिपि:-

क्र.सं.	नाम
1.	सचिव, आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
2.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
3.	सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, सी विंग, चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
4.	प्रबंधक, आरबीआई, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर
5.	बजट प्रभाग (राज्य अनुभाग), डीईए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6.	पीएओ, व्यय विभाग (डीओई)
7.	महालेखाकार (ए एंड ई), संबंधित राज्य सरकार(ओं)
8.	महालेखाकार (लेखापरीक्षा), संबंधित राज्य सरकार(ओं)
9.	सचिव (वित्त), संबंधित राज्य सरकार(ओं)
10.	सचिव (पंचायती राज), संबंधित राज्य सरकार(ओं)

(सुभाष चंद्र मीणा)
निदेशक (एफसीडी)
टेलीफोन 243608543

अति तत्काल

आरएलबी जारी (निर्गमन)संख्या 4/2021-22

राज्य सरकारों के लेखों में जमा की जाने वाली राशि

एफ.15(4)एफसी-XV/एफसीडी/2020-25

भारत सरकार वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग,

वित्त आयोग प्रभाग

ब्लॉक नंबर XI, 5वीं मंजिल

सीजीओ कॉम्प्लेक्स

नई दिल्ली- 110003

दिनांक: 08-05-2021

सेवा में,

लेखा अधिकारी (राज्य- ऋण),
मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय,
व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली- 110001

विषय: पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) द्वारा **अनुशंसित ग्रामीण स्थानीय निकायों के मूल अनुदान (असहबद्ध)** की अग्रिम निर्मुक्ति।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को वर्ष 2021-22 के लिए, कोविड-19 के प्रकोप के कारण, पंचायती राज मंत्रालय के अर्ध शासकीय पत्र सं. 11015/150/2020-एफडी, दिनांक 3 मई, 2021 में अनुशंसित अनुसार, अनुबंध-1 (पृष्ठ-3) में दिए गए राज्य-वार विवरण के अनुसार, एफसी-XV अनुशंसित ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के मूल अनुदान (असहबद्ध) की पहली किस्त 891760.00 (आठ हजार नौ सौ सत्रह करोड़ और साठ लाख रूपये) राज्य सरकार को अग्रिम रूप से जारी करने के लिए भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अवगत कराने का निदेश दिया गया है।

2. राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लिखित 891760.00 लाख रुपये की राशि, यदि कोई हो (जहां संविधान का भाग IX और IXक लागू नहीं होता है) को राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या की 90% भारिता और क्षेत्र के आधार पर 10% भारिता के आधार पर सामान्य क्षेत्रों और बहिष्कृत क्षेत्रों को आवंटित की जाए।

3. उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार **बहिष्कृत क्षेत्रों** (यदि कोई हो) के लिए विभाजित अनुदान राज्य वित्त विभाग द्वारा संबंधित स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी)/ग्राम विकास बोर्डों (वीबीडी)/ग्राम सभाओं (जैसा भी मामला हो) को संबंधित प्रशासनिक विभागों/नोडल विभागों के माध्यम से पंचायती राज एडीसी/वीबीडी मामलों की देखभाल करने वालों को सीधे अंतरित की जाएगी।

4. **सामान्य क्षेत्रों** के लिए आवंटित अनुदान पंचायतों के सभी स्तरों के लिए अंतिम रूप दिए गए पारस्परिक हिस्से के अनुसार संवितरित की जाएगी और नवीनतम राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत अनुशंसा के आधार पर राज्य में प्रत्येक स्तर पर संवितरित की जाएगी। तथापि, वितरण के लिए एसएफसी अनुशंसा की अनुपलब्धता के मामले में, आबंटन जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर 90:10 के अनुपात में होना चाहिए।

5. राज्य (राज्य वित्त विभाग) केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होने के दस कार्य दिनों में उपर्युक्त पैरा 4 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में संबंधित ग्रामीण स्थानीय निकायों को बिना किसी कटौती के अंतरित करेंगे।

6. दस कार्य दिनों से अधिक विलंब होने पर राज्य सरकारों को पिछले वर्ष के लिए बाजार ऋणों/राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) पर औसत ब्याज की प्रभावी दर के अनुसार ब्याज सहित उपर्युक्त अनुदान किस्त जारी करनी होगी।

7. उपर्युक्त मूल अनुदान असहबद्ध हैं और उनका उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट महसूस की गई आवश्यकता के लिए किया जा सकता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बाह्य एजेंसियों द्वारा लेखों की लेखापरीक्षा के लिए अपेक्षित व्यय इस अनुदान से वहन किया जा सकता है।

8. उपर्युक्त स्थानीय निकाय अनुदान अध्याय-7 'स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाना' में निहित एफसी-XV की सिफारिशों और व्यय विभाग द्वारा यथासमय जारी किए जाने वाले परिचालन दिशानिर्देशों में निहित प्रावधान के अनुसार शासित किया जाएगा।

9. पीएओ-राज्य ऋण. मुख्य लेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से अनुरोध है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर को संबंधित राज्य सरकारों के लेखों में उपरोक्त राशि जमा करने की सलाह दें।

10. वित्त मंत्रालय के लेखों में वर्ष 2021-22 के लिए कार्यात्मक शीर्ष 3601071020100 के अंतर्गत राज्य सरकार को अंतरण की मांग अनुदान संख्या 40 में भुगतान समायोज्य हैं। प्रयोजन शीर्ष 31. स्थानीय निकायों (3.01 ग्रामीण निकायों) के लिए अनुदान के रूप में योजना कोड 2084 है।

11. इस पत्र पर की गई कार्रवाई की जानकारी इस प्रभाग को दी जाए।

(सुभाष चंद्र मीणा)
निदेशक (एफसीडी)

प्रतिलिपि:-

क्र.सं.	नाम
1.	सचिव, आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
2.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
3.	प्रबंधक, आरबीआई, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर
4.	बजट प्रभाग (राज्य अनुभाग), डीईए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
5.	पीएओ, व्यय विभाग (डीओई)
6.	महालेखाकार (ए एंड ई), संबंधित राज्य सरकार(ओं)
7.	महालेखाकार (लेखापरीक्षा), संबंधित राज्य सरकार(ओं)
8.	सचिव (वित्त), संबंधित राज्य सरकार(ओं)
9.	सचिव (पंचायती राज), संबंधित राज्य सरकार(ओं)

(सुभाष चंद्र मीणा)
निदेशक (एफसीडी)

अनुलग्नक-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि (लाख रुपये में)	अनुदान घटक	किस्त	वर्ष
1.	आंध्र प्रदेश	38780.00	आरएलबी का मूल अनुदान (असहबद्ध)	प्रथम	2021-22
2.	अरूणाचल प्रदेश	3400.00	-वही-	-वही-	-वही-
3.	असम	23720.00	-वही-	-वही-	-वही-
4.	बिहार	74180.00	-वही-	-वही-	-वही-
5.	छत्तीसगढ़	21500.00	-वही-	-वही-	-वही-
6.	गुजरात	47240.00	-वही-	-वही-	-वही-
7.	हरियाणा	18700.00	-वही-	-वही-	-वही-
8.	हिमाचल प्रदेश	6340.00	-वही-	-वही-	-वही-
9.	झारखंड	24980.00	-वही-	-वही-	-वही-
10.	कर्नाटक	47540.00	-वही-	-वही-	-वही-
11.	केरल	24060.00	-वही-	-वही-	-वही-
12.	मध्य प्रदेश	58880.00	-वही-	-वही-	-वही-
13.	महाराष्ट्र	86140.00	-वही-	-वही-	-वही-
14.	मणिपुर	2620.00	-वही-	-वही-	-वही-
15.	मिज़ोरम	1380.00	-वही-	-वही-	-वही-
16.	ओडिशा	33380.00	-वही-	-वही-	-वही-
17.	पंजाब	20520.00	-वही-	-वही-	-वही-
18.	राजस्थान	57080.00	-वही-	-वही-	-वही-
19.	तमिलनाडु	53320.00	-वही-	-वही-	-वही-
20.	तेलंगाना	27300.00	-वही-	-वही-	-वही-
21.	त्रिपुरा	2820.00	-वही-	-वही-	-वही-
22.	उत्तर प्रदेश	144160.00	-वही-	-वही-	-वही-
23.	उत्तराखंड	8500.00	-वही-	-वही-	-वही-
24.	पश्चिम बंगाल	65220.00	-वही-	-वही-	-वही-
	योग	**891760.00**			

अति तत्काल

आरएलबी जारी (निर्गमन) संख्या 5/2021-22

राज्य सरकारों के लेखों में जमा की जाने वाली राशि

एफ.15(4)एफसी-XV/एफसीडी/2020-25

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग,

वित्त आयोग प्रभाग

ब्लॉक नंबर XI, 5वीं मंजिल

सीजीओ कॉम्प्लेक्स

नई दिल्ली- 110003

दिनांक: 08-05-2021

सेवा में,

लेखा अधिकारी (राज्य- ऋण),

मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय,

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,

नई दिल्ली- 110001

विषय: पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) द्वारा **ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुशंसित मूल अनुदान (असहबद्ध)** जारी करना।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को वर्ष 2021-22 के लिए, कोविड-19 के प्रकोप के कारण, पंचायती राज मंत्रालय के अर्ध-शासकीय पत्र सं. 11015/150/2020-एफडी, दिनांक 3 मई, 2021 में अनुशंसित अनुसार अनुबंध-1 (पृष्ठ-3) में दिए गए राज्य-वार विवरण के अनुसार, एफसी-XV अनुशंसित ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के मूल अनुदान (असहबद्ध) की पहली किस्त **620.00** (छह सौ बीस लाख रूपये) राज्य सरकार को अग्रिम रूप से जारी करने के लिए भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अवगत कराने का निदेश दिया गया है।

2. राज्य सरकार (राज्य वित्त विभाग) को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि **620.00** लाख रुपये की उपरोक्त राशि, (जहां संविधान का भाग IX और IXक लागू नहीं होता है) को, यदि कोई हो, राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या की 90% भारिता और क्षेत्र के आधार पर 10% भारिता के आधार पर सामान्य क्षेत्रों और बहिष्कृत क्षेत्रों को आवंटित की जाए।

3. उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार **बहिष्कृत क्षेत्रों** (यदि कोई हो) के लिए विभाजित अनुदान राज्य वित्त विभाग द्वारा संबंधित स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी)/ग्राम विकास बोर्डों (वीबीडी)/ग्राम सभाओं (जैसा भी मामला हो) को संबंधित प्रशासनिक विभागों/नोडल विभागों के माध्यम से पंचायती राज एडीसी/वीबीडी मामलों की देखभाल करने वालों को सीधे अंतरित की जाएगी।

4. **सामान्य क्षेत्रों** के लिए आवंटित अनुदान पंचायतों के सभी स्तरों के लिए अंतिम रूप दिए गए पारस्परिक हिस्से के अनुसार संवितरित की जाएगी और नवीनतम राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत अनुशंसा के आधार पर राज्य में प्रत्येक स्तर पर संवितरित की जाएगी। तथापि, वितरण के लिए एसएफसी अनुशंसा की अनुपलब्धता के मामले में, आबंटन जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर 90:10 के अनुपात में होना चाहिए।

5. राज्य (राज्य वित्त विभाग) केंद्र सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होने के दस कार्य दिनों में बिना किसी कटौती के उपरोक्त पैरा 4 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में संबंधित ग्रामीण स्थानीय निकायों को अंतरित करेंगे।

6. दस कार्य दिनों से अधिक विलंब होने पर राज्य सरकारों को पिछले वर्ष के लिए बाजार ऋणों /राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) पर औसत ब्याज की प्रभावी दर के अनुसार ब्याज सहित उपर्युक्त अनुदान किस्त जारी करनी होगी।

7. उपर्युक्त मूल अनुदान असहबद्ध हैं और उनका उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट महसूस की गई आवश्यकता के लिए किया जा सकता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बाह्य एजेंसियों द्वारा लेखों की लेखापरीक्षा के लिए अपेक्षित व्यय इस अनुदान से वहन किया जा सकता है।

8. उपर्युक्त स्थानीय निकाय अनुदान अध्याय-7 'स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाना' में निहित एफसी-XV की सिफारिशों और व्यय विभाग द्वारा यथासमय जारी किए जाने वाले परिचालन दिशानिर्देशों में निहित प्रावधान के अनुसार शासित किया जाएगा।

9. पीएओ-राज्य ऋण. मुख्य लेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से अनुरोध है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर को संबंधित राज्य सरकारों के लेखों में उपरोक्त राशि जमा करने की सलाह दें।

10. वित्त मंत्रालय के लेखों में वर्ष 2021-22 के लिए कार्यात्मक शीर्ष 3601071020100 के अंतर्गत राज्य सरकार को अंतरण की मांग अनुदान संख्या 40 में भुगतान समायोज्य हैं। प्रयोजन शीर्ष 31, स्थानीय निकायों (3.01 ग्रामीण निकायों) के लिए अनुदान के रूप में योजना कोड 2084 है।

11. इस पत्र पर की गई कार्रवाई की जानकारी इस प्रभाग को दी जाए।

(सुभाष चंद्र मीणा)
निदेशक (एफसीडी)

प्रतिलिपि:-

क्र.सं.	नाम
1.	सचिव, आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
2.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
3.	प्रबंधक, आरबीआई, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर
4.	बजट प्रभाग (राज्य अनुभाग), डीईए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
5.	पीएओ, व्यय विभाग (डीओई)
6.	महालेखाकार (ए एंड ई), संबंधित राज्य सरकार(ओं)
7.	महालेखाकार (लेखापरीक्षा), संबंधित राज्य सरकार(ओं)
8.	सचिव (वित्त), संबंधित राज्य सरकार(ओं)
9.	सचिव (पंचायती राज), संबंधित राज्य सरकार(ओं)

(सुभाष चंद्र मीणा)
निदेशक (एफसीडी)

अनुलग्नक-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि (लाख रुपये में)	अनुदान घटक	किस्त	वर्ष
1	सिक्किम	620.00	आरएलबी का मूल अनुदान (असहबद्ध)	प्रथम	2021-22
x	**योग**	**620.00**	x	x	x

अति तत्काल

आरएलबी जारी (निर्गमन) संख्या 6/2021-22

राज्य सरकारों के लेखों में जमा की जाने वाली राशि

एफ.15(4)एफसी-XV/एफसीडी/2020-25

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग,

वित्त आयोग प्रभाग

ब्लॉक नंबर XI, 5वीं मंजिल

सीजीओ कॉम्प्लेक्स

नई दिल्ली- 110003

दिनांक: 12/05/2021

सेवा में,

लेखा अधिकारी (राज्य- ऋण),
मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय,
व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली- 110001

विषय: पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार को ग्रामीण स्थानीय निकाय मूल अनुदान (असहबद्ध) की दूसरी किस्त की शेष राशि जारी करना।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को निर्देश दिया जाता है कि वह एफसी-XV की सिफारिशों के अनुसार 2021-22 के दौरान राज्य सरकार को **54848.00 लाख रुपये (पांच सौ अड़तालीस करोड़ और अड़तालीस लाख रुपये मात्र)** जारी करने के लिए भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अवगत कराए।

		(लाख रुपये में)
क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2020-21 के लिए आरएलबी मूल अनुदान (असहबद्ध) की दूसरी किस्त की शेष राशि जारी करना
1.	**तमिलनाडु**	**54848.00**
	योग	**54848.00**

2. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि **54848.00 लाख रुपये** की उल्लिखित राशि, यदि कोई हो (जहां संविधान का भाग IX और IXक लागू नहीं होता है) को राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या की 90% भारिता और क्षेत्र के आधार पर 10% भारिता के आधार पर सामान्य क्षेत्रों और बहिष्कृत क्षेत्रों को आवंटित की जाए।

3. उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार **बहिष्कृत क्षेत्रों** (यदि कोई हो) के लिए विभाजित अनुदान राज्य वित्त विभाग द्वारा संबंधित स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी)/ग्राम विकास बोर्डों (वीबीडी)/ग्राम सभाओं (जैसा भी मामला हो) को संबंधित प्रशासनिक विभागों/नोडल विभागों के माध्यम से पंचायती राज एडीसी/वीबीडी मामलों की देखभाल करने वालों को सीधे अंतरित की जाएगी।

4. **सामान्य क्षेत्रों** के लिए आवंटित अनुदान पंचायतों के सभी स्तरों के लिए अंतिम रूप दिए गए

पारस्परिक हिस्से के अनुसार संवितरित की जाएगी और नवीनतम राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत अनुशंसा के आधार पर राज्य में प्रत्येक स्तर पर संवितरित की जाएगी। तथापि, वितरण के लिए एसएफसी अनुशंसा की अनुपलब्धता के मामले में, आबंटन जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर 90:10 के अनुपात में होना चाहिए।

5. **दस कार्य दिनों** से अधिक विलंब होने पर राज्य सरकारों को पिछले वर्ष के लिए बाजार ऋणों/राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) पर प्रभावी ब्याज दर के अनुसार **ब्याज सहित** इसे जारी करना होगा।

6. उपर्युक्त मूल अनुदान असहबद्ध हैं और इसका उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर, स्थान-विशिष्ट महसूस की गई आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है।

7. उपर्युक्त स्थानीय निकाय अनुदान, इस विषय पर कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. 15(2)एफसी-XV/एफसीडी/2020-25, दिनांक 01-06-2020 द्वारा जारी किए गए प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार शासित किया जाएगा।

8. पीएओ-राज्य ऋण, मुख्य लेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से अनुरोध है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर को **संबंधित राज्य सरकारों के लेखों में उपरोक्त राशि जमा करने की सलाह दें।**

9. वित्त मंत्रालय के लेखों में वर्ष 2021-22 के लिए कार्यात्मक शीर्ष 3601071020100 के अंतर्गत **राज्य सरकार को अंतरण की मांग अनुदान संख्या 40** में भुगतान समायोज्य हैं। **प्रयोजन शीर्ष 31, स्थानीय निकायों (3.01 ग्रामीण निकायों) के लिए अनुदान के रूप में योजना कोड 2084 है।**

10. इस पत्र पर की गई कार्रवाई की जानकारी इस प्रभाग को दी जाए।

(सुभाष चंद्र मीणा)
निदेशक (एफसीडी)
टेलीफोन 243608543

प्रतिलिपि:-

क्र.सं.	नाम
1.	सचिव, आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
2.	प्रबंधक, आरबीआई, सीएएस, नागपुर
3.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
4.	प्रबंधक, आरबीआई, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर
5.	बजट प्रभाग (राज्य अनुभाग), डीईए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6.	पीएओ, व्यय विभाग (डीओई) नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
7.	महालेखाकार (ए एंड ई), संबंधित राज्य सरकार(ओं)
8.	महालेखाकार (लेखापरीक्षा), संबंधित राज्य सरकार(ओं)
9.	सचिव (वित्त), संबंधित राज्य सरकार(ओं)
10.	सचिव (पंचायती राज), संबंधित राज्य सरकार(ओं)

(सुभाष चंद्र मीणा)
निदेशक (एफसीडी)
टेलीफोन 243608543